<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं०-03 अलीगढ़।</u>

वाद सं-52/12/2022
रघुराज सिंह   बनाम   अज्ञात
मु०अ० सं०-220/2022
धारा-380 भादसं.
थाना - चण्डौस, अलीगढ़।

<u>03.04.2023</u>

वादी मुकदमा रघुराज सिंह के द्वारा प्रा०पत्र प्रस्तुत कर मु०अ० सं०-220/2022 अंतर्गत धारा-380 भादसं. थाना- चण्डौस, अलीगढ़ में विवेचक द्वारा दाखिल अंतिम आख्या को स्वीकार कर मुकदमें को समाप्त करने की प्रार्थना की गयी है। प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना चण्डौस पर दिनांक- 01.08.2022 को मु०अ० सं०-220/2022 अन्तर्गत धारा-380 भादसं. के अंतर्गत बनाम अज्ञात में पंजीकृत कराया गया था जिसमें विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट सं- 46/22 दिनांक- 06.08.2022 प्रेषित की गयी है। प्रस्तुत मामले में विवेचक के द्वारा एकत्रित साक्ष्य के आधार पर अंतिम आख्या प्रस्तुत कर दी गयी है। वादी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अंतिम आख्या स्वीकार करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है। अतः न्याय हित में अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादी मुकदमा रघुराज सिंह का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मु०अ०सं०-220/2022 अंतर्गत धारा-380 भादसं. थाना- चण्डौस, अलीगढ़ में प्रस्तुत अंतिम आख्या संख्या-46/22 दिनांकित 06.08.2022 स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो

न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं०-03 अलीगढ़।